



टेण्डर-फार्म

12-06-2021
REGISTRAR

विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण स्थित नयी कैंटीन/पुरानी कैंटीन/स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेन्ट (स्टैप कैंटीन)/काफी कार्नर के संचालन हेतु निविदा प्रपत्रः एक निविदाता मात्र एक कैंटीन के संचालन हेतु पात्र होगा।

टेण्डर फार्म का मूल्य : रु0 1000.00 धरोहर राशि : रु0 20000.00
टेण्डर जमा करने की अन्तिम तिथि : समय :

1 ठेकेदार/फर्म का नाम एवं पता:.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

फोटो

मोठनो:.....

2 डी०डी० नं..... दिनांक.....
धनराशि रु0..... (धरोहर राशि)
(डी०डी०:- वित्त नियंत्रक, एच०बी०टी०य०, कानपुर के पक्ष में देय होगा)
3 निविदादाता द्वारा निविदित एक वर्ष का किराया रु0
(शब्दों में).....
(क्रमांक 1 से 3 तक की सूचना न भरने पर निविदा अवैध मानी जायेगी एवं निविदा निरस्त कर दी जायेगी।)

निविदा शर्त

- विश्वविद्यालय कैंटीन निविदा उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर अधिकतम निविदादाता द्वारा समस्त निविदा राशि जमाकर प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में द्वितीय, तृतीय,..... निविदादाता से उपरोक्तानुसार अगेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
- निविदादाताओं को, में कैंटीन शाप संचालन के कार्य का 02 वर्ष का सरकारी अथवा अर्धसरकारी, विश्वविद्यालय/संस्थान में अनुभव आवश्यक है। उक्त का प्रमाण पत्र (मूल रूप में) संलग्न करना आवश्यक है।
- फर्म का जी०एस०टी० नम्बर एवं पैन नम्बर की फोटोकापी संलग्न करना आवश्यक है।
- कैंटीन के अन्दर व आस-पास की साफ-सफाई एवं रंगाई-पुताई/समस्त मेन्टीनेन्स व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार अस्थायी निर्माण कार्य ठेकेदार को अपने व्यय पर करनी होगी। उक्त हेतु विश्वविद्यालय से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

5. विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर जनरेटर की व्यवस्था करनी होगी जिसका किसी भी प्रकार का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा देय न होगा।
6. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी भी समय कैंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता आदि की जाँच की जा सकती है। जाँच की प्रतिकूल आख्या के आधार पर कभी भी कैंटीन ठेका निरस्त किया जा सकता है।
7. कैंटीन में शिक्षकों/कर्मचारियों व छात्र-छात्राओं हेतु अलग-अलग बैठने के लिए फर्नीचर आदि की अच्छी व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर से करनी होगी।
8. कैंटीन ठेकेदार द्वारा विक्रय की जाने वाली समस्त सामग्रियों की रेट लिस्ट विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है।
9. कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ रखना अथवा प्रयोग करना या करने देना पूर्णतयः निषिद्ध होगा। ऐसा पाये जाने पर कैंटीन का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये समस्त निविदा राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. कैंटीन में जो भी सामग्री विक्रय हेतु रखी जायेगी उसके मूल्य की एक सूची कैंटीन के अन्दर तथा एक सूची कैंटीन के बाहर लगाना अनिवार्य होगा।
11. कैंटीन ठेकेदार किसी सरकारी विश्वविद्यालय/संस्थान में कार्यरत न हो और नहीं किसी राजनैतिक पार्टी से संबंधित हो, वकील एवं पुलिसकर्मी भी न हों। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
12. कैंटीन में कार्यरत सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार अनुशासन में कार्य करेंगे।
13. कैंटीन में किसी भी अराजक/आवंछनीय व्यक्तियों को बैठने देना प्रतिबन्धित होगा। ऐसे लोगों को पाये जाने पर ठेका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
14. विश्वविद्यालय की कैंटीन संचालन का अनुबन्ध विश्वविद्यालय प्रशासन एवं ठेकेदार के मध्य रु0 100/- के स्टाम्प पेपर पर करना होगा। जो मात्र 01 वर्ष हेतु मान्य होगा। भविष्य में समाजों की गुणवत्ता एवं कैंटीन संचालक के कार्य व्यवहार से संतुष्ट होने पर उक्त अवधि आगामी 01 वर्ष हेतु पुरानी निविदा राशि पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर विश्वविद्यालय के कोष में जमा करने पर बढ़ायी जा सकती है। उक्त अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
15. कैंटीन ठेकेदार को उसके द्वारा उपभोग की गयी विद्युत का भुगतान विश्वविद्यालय के विद्युत अनुरक्षण अनुभाग द्वारा प्रस्तुत विद्युत बिल के अनुसार जमा करना होगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रकरण में दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कार्य अवधि के अतिरिक्त भी कैंटीन का उपभोग सक्षम अधिकारी के निर्देश पर किया जा सकता है।
18. नयी कैंटीन/पुरानी कैंटीन/स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेन्ट (स्टैप कैंटीन) एवं काफी कार्नर हेतु निविदा प्रपत्र अलग-अलग डालना आवश्यक है।
19. सभी या किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार कानपुर नगर ही होगा।
21. रेट लिस्ट संलग्न है। जो आइटम लिस्ट में नहीं या उनकी मूल्य नहीं है उसे विश्वविद्यालय से अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

१८

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-02

विश्वविद्यालय कैंटीन में बिक्री हेतु रखी जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची।

क्रमांक	आइटम	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर
1	खस्ता सूखी सब्जी एवं चटनी के साथ	प्रति नग ₹0 20
2	समोसा	प्रति नग ₹0 07
3	ब्रेड पकौड़ा	प्रति नग ₹0 15
4	कटलेट वेजीटेबल	प्रति नग ₹0 10
5	आलू टिक्की	प्रति नग ₹0 10
6	कचौड़ी / पूड़ी (4 पूड़ी + सब्जी आचार)	प्रति नग ₹0 40
7	छोले भट्ठरे (2 भट्ठरे + छोले अचार)	प्रति नग ₹0 40
8	वेजीटेबल पुलाव	प्रति नग ₹0 30
9	लंच साधारण (दाल, चावल, रोटी-4, सब्जी रायता) स्पेशल (दाल फ्राई, चावल, रोटी-4, सब्जी-2, रायता एवं सलाद)	प्रति थाली ₹0 60 प्रति थाली ₹0 100
10	मिक्स पकोड़ी	प्रति 100 ग्रा० ₹0 20
11	पनीर पकौड़ा	प्रति 50 ग्रा० ₹0 30
12	छेने के रसगुल्ले	प्रति नग ₹0 20
13	काला जाम	प्रति नग ₹0 15
14	बालूसाही	प्रति नग ₹0 20
15	बेसन / बूँदी के लड्डू	प्रति किग्रा० ₹0 240
16	पेड़ा खोया	प्रति किग्रा० ₹0 400
17	मीठे दूध की बोतल	प्रति (100ml) ₹0 MRP
18	काफी मशीन	प्रति (150ml) ₹0 15
19	लस्सी	प्रति (200ml) ₹0 20
20	चाय	प्रति (100ml) ₹0 10
21	डोसा प्लेन मसाला पनीर	प्रति प्लेट ₹0 50 प्रति प्लेट ₹0 70 प्रति प्लेट ₹0 100
22	सैण्डविच वेजीटेबल मक्खन	प्रति नग ₹0 30 प्रति नग ₹0 MRP
23	कार्बोनेट ड्रिंक्स	MRP
24	फ्रूट जूस	MRP
25	फ्राइड राइस	प्रति प्लेट ₹0 40
26	मैगी	प्रति प्लेट ₹0 25
27	आलू पराठा सादा स्टेप पराठा (आलू घ्याजा) पनीर पराठा	दो पीस ₹0 40 दो पीस ₹0 50 दो पीस ₹0 80
28	पैटीज़ (आलू)	प्रति नग ₹0 15
29	क्रीमरोल	प्रति नग ₹0 20
30	पेप्सी	प्रति नग ₹0 20
31	इडली सांभर चटनी	दो पीस ₹0 40
32	वड़ा सांभर चटनी	दो पीस ₹0 60
33	वेज मोमोज	प्रति प्लेट ₹0 40
34	पाव भाजी	प्रति प्लेट ₹0 50
35	वड़ा पाव	प्रति प्लेट ₹0 10
36	बन्द बटर	प्रति पीस ₹0 20
37	ब्रेड बटर (छोटी ब्रेड)	प्रति चार पीस ₹0 20

नोट: उपरोक्त सामग्रियों की अन्य विशिष्टियां संलग्न एनेरजर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। उपरोक्तानुसार अंकित समस्त सामग्री कैंटीन में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है अतिरिक्त कोई भी वस्तु बिक्री के लिए विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति आवश्यक है।